क्रम-संख्या—389 (घ)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, रविवार, 24 जुलाई, 1977

श्रावण 1, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2195/सत्रह-वि-1—59-1977

लखनऊ, 24 जुलाई, 1977

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 24 जुलाई, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1977]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

(2) यह 27 अप्रैल, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 6 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में :--

(i) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के समस्त सदस्य होंगे, जिनका निवास स्थान नगर में हो।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनार्थ, राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायेगा जो ऐसे सदस्य के, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो।"

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें तथा स्पष्टीकरण दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"(4) यदि इस धारा के अधीन कोई भी सभासद या विशिष्ट सदस्य सफाई मजदूर वर्ग का न हो, तो राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को सभासद नाम निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त महापालिका की सदस्य संख्या में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा।

(5) यदि स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान किसी नगर में न हो तो, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी एक नगर महापालिका का, जिसका वह वरण करे, पदेन सदस्य समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायेगा यदि वह उप जीविका से ऐसे सफाई मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।"

धारा 8-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

अध्याय तीन

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1916 की धारा 9 का संशोधन

4--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में :--

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के समस्त सदस्य होंगे जिनका निवास स्थान नगर क्षेत्र में हो।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनार्थ, राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायेगा जो ऐसे सदस्य के, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो।"

(ii) प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित अग्रेतर प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जावेंगे, अर्थात् :--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्थानीय प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान किसी म्युनिसिपैलिटी में न हो, तो वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले किसी एक नगरपालिका का, जिसका वह वरण करे, पदेन सदस्य समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि खंड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा।

स्पष्टीकरण--किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायेगा यदि वह उप-जीविका से ऐसे सफाई मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।"

धारा 338 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 338 में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित अग्रतर प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को नोटिफाइड एरिया कमेटी का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है, और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायगा यदि वह उप जीविका से ऐसे सफाई मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।"

अध्याय चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1914 की धारा 5 का संशोधन

6—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 5 में, उपधारा (2) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित अग्रतर प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को कमेटी का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरान्त कमेटी की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायगा।"

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर वर्ग का समझा जायगा, यदि वह उप जीविका से ऐसे मजदूर वर्ग का हो या परम्परा से ऐसी उप जीविका करने वाली अनुसूचित जाति का हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।"

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

7—धारा 3 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8-क के संशोधन के होते हुए भी, समस्त नगर महापालिकाओं का निर्वाचन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 31 मार्च, 1978 तक होगा।

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 10, 1977

निरसन और अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित मूल अधिनियमों के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उपबन्ध के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन मूल अधिनियमों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

No. 2195 (2)/XVII-V-1—59-1977

Dated Lucknow, July 24, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 24, 1977:

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1977

[U. P. ACT NO. 9 OF 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *the U. P. Municipalities Act*, 1916 *and the U. P. Town Areas Act*, 1914.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1977.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 27, 1977.

CHAPTER II

Amendment of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

Amendment of section 6 of U. P. Act 2 of 1959.

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act—

(i) in sub-section (1), *after* clause (*c*), the following clause and Explanation shall be *inserted*, namely :—

"(*d*) Paden Sadasyas comprising all members of the Council of States and the State Legislative Council who have their residence in the city.

Explanation— For the purposes of this clause, the place of residence of a member of the Council of States or the State Legislative Council shall be deemed to be the place of his residence mentioned in the notification of his election or nomination, as the case may be."

(ii) *after* sub-section (3), the following sub-sections and Explanation shall be *inserted*, namely :—

"(4) If none of the Sabhasads or Vishishta Sadasyas under this section belongs to the Safai mazdoor class, the State Government may, by a like notification, nominate one person belonging to the said class as a Sabhasad and thereupon the strength of the Mahapalika shall stand varied to that extent.

(5) If any member of the State Legislative Council representing the Local Authorities constituency does not have his residence in any city, he will be deemed to be Paden Sadasya of such one of the Mahapalikas situated within his constituency, as he may choose.

Explanation—A person shall be deemed to belong to the Safai mazdoor class if he belongs to such a class of scavengers by occupation or to such of the Scheduled Castes traditionally following such occupation as may be notified by the State Government."

Amendment of section 8-A.

3. In section 8-A of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, *for* the words "three years", the words "one year" shall be *substituted*.

CHAPTER III

Amendment of the U. P. Municipalities Act, 1916

Amendment of section 9 of U. P. Act 2 of 1916.

4. In section 9 of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act—

(i) *after* clause (*c*) the following clause and Explanation shall be *inserted*, namely :—

"(*d*) Ex-officio members comprising all members of the Council of States and the State Legislative Council who have their residence within the limits of the Municipality.

Explanation—For the purposes of this clause, the place of residence of a member of the Council of States or the State Legislative Council shall be deemed to be the place of his residence mentioned in the notification of his election or nomination, as the case may be.";

(ii) *after* the proviso the following further provisos and Explanation shall be *inserted*, namely :

"Provided further that if any member of the State Legislative Council representing the Local Authorities Constituency does not have his residence within the limits of any Municipality, he will be deemed to be *ex officio* member of the board of such one of the municipalities situated within his constituency as he may choose :

Provided also that if none of the members elected under clause (*b*) belongs to Safai mazdoor class, the State Government may, by notification, nominate a person belonging to the said class as a member of the Board, and thereupon the normal composition of the Board shall stand varied to that extent.

Explanation—A person shall be deemed to belong to the Safai mazdoor class if he belongs to such a class of scavengers by occupation or to such of the Scheduled Castes traditionally following such occupation as may be notified by the State Government."

Amendment of section 338.

5. In section 338 of the principal Act, in sub-section (2), *after* the proviso, the following further proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that if none of the members elected under this sub-section belongs to Safai mazdoor class, the State Government may, by notification, nominate one person belonging to the said class as member of the notified area committee and thereupon, the composition of the committee shall stand varied to that extent.

Explanation—A person shall be deemed to belong to the Safai mazdoor class if he belongs to such a class of scavengers by occupation or to such of the Scheduled Castes traditionally following such occupation as may be notified by the State Government."

CHAPTER IV

Amendment of the U. P. Town Areas Act, 1914

Amendment of section 5 of U. P. Act 2 of 1914.

6. In section 5 of the U. P. Town Areas Act, 1914 in sub-section (2), *after* the proviso, the following further proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that if none of the members elected under clause (*b*) belongs to Safai mazdoor class, the State Government may, by notification, nominate one person belonging to the said class as a member of the Committee and thereupon, the composition of the committee shall stand varied to that extent.

Explanation—A person shall be deemed to belong to the Safai mazdoor class, if he belongs to such a class of scavengers by occupation or to such of the Scheduled Castes traditionally following such occupation as may be notified by the State Government."

CHAPTER V

Miscellaneous

Transitory provision.

7. Notwithstanding the amendment of section 8-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 by section 3, elections for all the Nagar Mahapalikas shall be held in accordance with the provisions of the said Act by March 31, 1978.

U.P. Ordinance no. 10 of 1977.

Repeal and saving.

8. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Acts mentioned in Chapters II, III and IV, as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Principal Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 96 ला० (विधा०)—23-7-77—(1342)—1977—650 (मे०)।